संख्या–320/पॉच–6–12–1082/87 टी0सी0

प्रेषक,

संजय अग्रवाल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ0प्र0,लखनऊ।

लखनऊः दिनॉकः 15 फरवरी, 2013

चिकित्सा अनुभाग–6

विषयः– उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011 में आंशिक संशोधन संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिसूचना संख्या–2275/5–6–11–1082/87, दिनांक 20.09.2011 द्वारा उ0प्र0 राज्य के सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के चिकित्सा दावे की प्रतिपूर्ति के संबंध में उक्त नियमावली के माध्यम से प्राविधान किया गया है। उक्त नियमावली के भाग–5 के बिन्दु–20 (ख) में सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के लिये रू0 1.00 लाख तक के दावे की स्वीकृत हेतु सक्षम तकनीकी परीक्षण अधिकारी की संस्तुति के पश्चात पेंशन आहरित करने वाले जनपद के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा तथा रू0 1.00 लाख से अधिक रू0 5.00 लाख तक के दावे समक्ष तकनीकी परीक्षण अधिकारी की संस्तुति के पश्चात् पेंशन आहरित करने वाले जनपद के कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत किये जायेगें, का प्राविधान किया गया है।

3– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 राज्य के सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी जो सेवानिवृत्त के पश्चात उत्तराखण्ड राज्य अथवा दिल्ली में निवास कर वहां से पेंशन आहरित कर रहे है, के चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति एवं दावों के तकनीकी परीक्षण में आने वाली कठिनाइयों के निराकरण हेतु शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उक्त नियमावली के भाग–5 के नियम–20(ख) जिसमें सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों के दावे की स्वीकृत का प्राविधान किया गया है, के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जाय :–

" उ0प्र0 राज्य के सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी जो सेवानिवृत्त के पश्चात् उत्तराखण्ड राज्य अथवा दिल्ली में निवास कर वहां से पेंशन आहरित कर रहे है के चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति एवं उनके तकनीकी परीक्षण हेतु उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011 के प्रख्यापन के पूर्व लागू के प्राविधानों के अनुसार अर्थात उत्तराखण्ड राज्य में निवास कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों के चिकित्सा दावों का तकीनीकी परीक्षण चिकित्सा अनुभाग–6 के शासनादेश दिनांक 02.08.11 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य के विभागाध्यक्षों द्वारा कराये जायेंगे तथा दिल्ली में निवास कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों के चिकित्सा दावों का तकनीकी परीक्षण अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मण्डल, मेरठ द्वारा किया जायेगा। उ0प्र0 राज्य से सेवानिवृत्त कार्मिक जो दिल्ली एवं उत्तराखण्ड में निवास कर रहे है और वहां से पेंशन आहरित कर रहे है, के चिकित्सा दावे के स्वीकृर्ता अधिकारी पूर्व की भॉति वे जहां से सेवानिवृत्त हुये है, से दावे की प्रतिपूर्ति के आदेश निर्गत किये जायेगे।"

4– उक्त नियमावली के उक्त नियम में दिये गये शेष प्राविधान यथावत् लागू रहेगें।

भवदीय,

(संजय अग्रवाल)
प्रमुख सचिव।

Scanned by CamScanner

संख्या–320 (1)/5–6–13 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0
4. समस्त जिलाधिकारी उ0प्र0
5. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
7. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
8. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तराखण्ड राज्य, देहरादून।
9. निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
10. समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
11. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
12. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (पुरूष/महिला) जिला चिकित्सालय, उ0प्र0।
13. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।
14. शासन के समस्त अनुभाग।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

14.9.13

(आर0एस0 परिहार)
अनु सचिव।

Scanned by CamScanner

संख्या–120/पाँच–6–14–5(जी.)/14

प्रेषक,

प्रवीर कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

(1) समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

(2) समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,
जिला चिकित्सालय (पुरूष/महिला),
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग–6

लखनऊः दिनांक 16 जनवरी, 2014

विषयः– तात्कालिक/आपात स्थिति में लाभार्थी द्वारा निजी चिकित्सालयों में उपचार के संबंध में उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011 के भाग–3 के नियम–11 के प्राविधानों के संबंध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

शासन के संज्ञान मे आया है कि उ0प्र0 राज्य के कार्मिकों द्वारा आपात परिस्थिति में निजी चिकित्सालयों में उपचार कराये जाने के उपरान्त उनके चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी दावों का परीक्षण करते समय मुख्य चिकित्साधिकारियों/मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों द्वारा यह आपत्ति लगायी जा रही है कि निजी चिकित्सालयों में उपचार की सुविधा प्राप्त करने से पूर्व राजकीय चिकित्सालय से अग्रसारण नहीं कराया गया है।

2– इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011 के भाग–3 के नियम–11 में स्पष्ट उल्लेख है कि तात्कालिक/आपात स्थिति में लाभार्थी द्वारा निजी चिकित्सालयों में उपचार प्राप्त किया जा सकता है तथा उसकी आपात दशा को संबंधित उपचारी चिकित्सक द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।

3– अतः पुनः स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी लाभार्थी द्वारा आपात स्थिति में निजी चिकित्सालय में उपचार कराया जाता है तथा उसकी आपात दशा संबंधित उपचारी चिकित्सक द्वारा प्रमाणित की गयी हो, तो उस स्थिति में उपचार हेतु राजकीय चिकित्सालय से अग्रसारण कराने की आवश्यकता नहीं होगी। कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराये।

भवदीय,

(प्रवीर कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या–120 (1)/पांच–6–13–तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन को उनके पत्र संख्या–03/प्र.स.नि. एवं का/2014 दिनांक 17.01.2014 के संदर्भ में।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0 ।
5. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु संबंधित को अपने स्तर से भी निर्देशित करें।
6. विभागीय वेबमास्टर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश को विभाग की वेबसाईट पर तत्काल अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
7. उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मयूर माहेश्वरी)
विशेष सचिव

Scanned by CamScanner